न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—79 / 2087 / 223 (2018 / 00079)

1. श्रीमती सुखी पत्नी स्व0 किशना, जाति रावत,
2. गणपतसिंह पुत्र रामा, जाति रावत,
3. सुगना पुत्र मूला, जाति रावत (फौत) नाम तर्क
4. सोजीसिंह पुत्र सुगना, जाति रावत,

समस्त निवासी ग्राम केसरपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पूना पुत्र नीरा, जाति रावत,
2. बाबूसिंह पुत्र स्व0 किशना, जाति रावत,
3. गोपालसिंह पुत्र स्व0 किशना, जाति रावत,
4. जयसिंह पुत्र स्व0 श्री किशना, जाति रावत,
5. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री स्व0 किशना, जाति रावत,
6. श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व0 किशना, जाति रावत,
7. श्रीमती तीजा देवी पुत्री स्व0 किशना, जाति रावत,
8. लक्ष्मण पुत्र नीरा, जाति रावत,
9. सुखदेव पुत्र नीरा, जाति रावत,
10. मानसिंह पुत्र सोहन, जाति रावत,
11. महावीरसिंह पुत्र सोहन, जाति रावत,
12. बलवीरसिंह पुत्र सोहन, जाति रावत,
13. श्रीमती नौसर पुत्री सोहन, जाति रावत,
14. श्रीमती सिपली पुत्री सोहन, जाति रावत,
15. श्रीमती सूरमा पुत्री सोहन, जाति रावत,
16. श्रीमती बिल्लू पत्नी सोहन, जाति रावत,
17. श्रीमती शांति पत्नि स्व0 छोटू, नाता विवाह कर लिया, जाति रावत,
18. मोहनसिंह पुत्र रामा, जाति रावत,
19. भैरूसिंह पुत्र रामा, जाति रावत,
20. पप्पूसिंह पुत्र रामा, जाति रावत,
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजममेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 12.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 18 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस।
2. श्री शंकरलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 8 व 9 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 7 व 10 से 20 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21.

निर्णय

दिनांकः— 19.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि वादवर्णित आराजियात वादी एवं रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । विवादित आराजियात वादी की पैतृक आराजी भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण आज दिवस तक उक्त आराजी पर अविभाज्य रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य आये दिन अपने अपने हिस्से व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है । विवादित आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का विधिक बंटवारा किया जाकर हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये । तत्पश्चात् दिनांक 12.5.2017 को निर्णय पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा बंटावारे का वाद प्रस्तुत किया जिसमें अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण को सम्मन/नोटिस तामील कराये बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये है । आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 की प्रावधानों की पालना नहीं । यह भी कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सराधना एवं बैंक ऑफ इण्डिया मांगलियावास को भूमि मोरगेज की गई थी तथा उक्त बैंक वाद में आवश्यक पक्षकार थे इसके बावजूद वादी ने आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे भी वादी का वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को नोटिस तामील कराये बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.3.2018 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर अपीलांटस ने अपीलाधीन

निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादीगण/अपीलांटस को तामील होने के बावजूद जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुए इसी कारण अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी जो विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । न्यायहित में हम अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 दिनांक 27.2.2017 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.3.2017 नियत की गई । दिनांक 17.3.2017 की आदेशिका में यह अंकन किया है कि '' पक्षकारान उप/अनु0/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप0/अनु0पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई । पक्षकारान में समझाईश की गई परन्तु राजीनामा नहीं हुआ । अतः पत्रावली पूर्व कार्यवाही हेतु दिनांक 2.6.2017 को न्यायालय में पेश हो । '' वाद पत्रावली के साथ संलग्न नोटिस/सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी नोटिस सम्यक रूप से प्रतिवादीगण को तामील नहीं करवाये गये है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के नोटिस/सम्मन सुखी को तामील कराये गये । इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 21 के सम्मन/नोटिस नानूसिंह को तामील कराये गये है एवं प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के नोटिस सुगन को तामील कराये गये है जो कि अपीलांटस के परिवार के सदस्य न होकर सहकाश्तकार है । जबकि विधिनुसार सम्मन आदेश 5 जा0दी0 में दी गई प्रक्रिया की पालना करते हुए सम्यक रूप से तामील करवानी चाहिये थी परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना सम्यक रूप से सम्मन/नोटिस तामील कराये अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व कैम्प में प्रकरण को रखकर एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद धारा 53 बंटवारे का था जिसमें सभी सहकाश्तकारों को सुना जाना आवश्यक था । प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त किये बिना तथा बिना शहदात कराये एवं दस्तावेजात प्रदर्शित कराये पारित निर्णय व डिक्री विधि की प्रक्रिया के प्रतिकूल होकर अविधिक है । जब आदेशिका दिनांक 17.3.2017 के अनुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हुआ तो पत्रावली को न्यायालय में रखने के आदेश दिये गये इसके बावजूद पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया गया जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा

अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 12.5.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 19.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर